वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.291.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.4(15)एफ.डी./टैक्स/2014-53 दिनांक 14 जुलाई, 2014 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"

2.	नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व आवासीय सहकारी सोसाइटियों द्वारा आवंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत	(i)	जहां दस्तावेज 31 मार्च, 1995 तक निष्पादित हुआ है वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख पर, या यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत पर
		(ii)	जहां दस्तावेज 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2005 के मध्य निष्पादित हुआ है वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख पर, या यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर
		(iii)	जहां दस्तावेज 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2010 के मध्य निष्पादित हुआ है वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख पर, या यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत पर
		(iv)	जहां दस्तावेज 1 अप्रैल, 2010 से 14 जुलाई, 2014 के मध्य निष्पादित हुआ है वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख पर, या यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के बाजार मूल्य के 35 प्रतिशत पर

"

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-227]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015

S.O.291.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's Notification No. F. 4(15)FD/Tax/2014-53 dated July 14, 2014, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing serial number 2 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

2.	Every intermediary unregistered and under stamped instrument executed in respect of land allotted or sold by housing co-operative societies, before getting the lease deed from the Urban Local Bodies.	(i) On 10% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed up to March 31, 1995. (ii) On 20% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed between April 1, 1995 to March 31, 2005. (iii) On 30% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed between April 1, 2005 to March 31, 2010. (iv) On 35% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed between April 1, 2010 to July 14, 2014.

"

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-227]
By order of the Governor,

(Manish Mathur)
Jt. Secretary to the Government